

CERTIFICATE-12 (प्रमाण पत्र-12)
(Income Certificate) (काउन्सिलिंग में जमा करने हेतु)

क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि
----- (आवेदक के अभिभावक/माता/पिता का नाम) सुपुत्र
----- निवासी/ग्राम ----- परगना
----- तहसील ----- नगर ----- जिला
----- राज्य ----- के स्वयं की मासिक आय रूपया
----- तथा वार्षिक आय रूपया ----- है।

लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार आय का स्रोत ----- है।

स्थान:

दिनांक:

तहसीलदार
मुहर

नोट— अभ्यर्थी ध्यान दें कि उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र अप्रैल 01, 2014 के पश्चात का बना हुआ होना आवश्यक है।